अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

विविध वाद संख्या–01/2017

तिलेश्वर बेदिया बनाम गुड्डु करमाली एवं राज्य

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
22/3/2023	अपीलार्थी तिलेश्वर बेदिया, पिता– स्व0 पाण्डु बेदिया, मौजा–साण्डी, तिलैया, थाना–माण्डू जिला– रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर विविध वाद सं0 07/15–16 तिलेश्वर बेदिया बनाम गुड्डु करमाली में दिनांक–27.04.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विषयगत् वाद मौजा–साण्डी उर्फ तिलैया के खाता सं0–55, कुल–11 प्लॉट, कुल रकवा–7.93 एकड़ से संबंधित है। खाता सं0–55 के खतियानी रैयत रामू बेदिया एवं बंधु बेदिया, पिता–बिगन बेदिया हैं। खाता सं0–55 एवं खाता सं0–37, रकवा क्रमशः–7.93 एकड़ एवं 4.70 एकड़, कुल रकवा–12.63 एकड़ की संयुक्त जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ सं0–47/I पर जीवन करमाली, पिता–चन्दन करमाली के नाम से कायम है, परन्तु जमाबंदी किस सक्षम प्राधिकार के आदेश से खोली गयी है, इसका उल्लेख प्राधिकार कॉलम में नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा खाता सं0–55, कुल रकवा–7.93 एकड़ की जमाबंदी खतियानी रैयत रामू बेदिया व बंधु बेदिया के नाम से कायम किये जाने की अनुशंसा सहित अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजा गया, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विषयगत् मामले में बिना तथ्यों को जाने हुये विषयगत् वाद को स्वत्व वाद बताते हुए, दिनांक–27.04.2016 को व्यवहार न्यायालय जाने का आदेश पारित किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा द्वितीय पक्ष द्वारा अंचल कार्यालय से मिलिभगत करते हुए व कागजात में छेड़–छाड़ कर जाली दस्तावेज के आधार पर प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी अपने नाम से कायम करवायी गयी है, जो किसी भी दृष्टिकोण से विधि–सम्मत् नहीं है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए, प्रश्नगत् भूमि मौजा–साण्डी उर्फ तिलैया के खाता सं0–55, कुल–11 प्लॉट, कुल रकवा–7.93 एकड़ पर जीवन करमाली के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करते हुए, अपीलार्थी के नाम से खोले जाने का अनुरोध किया गया। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि ग्राम सांडी उर्फ तिलैया, थाना सं0–143, खाता सं0–55, रकवा–7.93 एकड़ से संबंधित है। जिसके खतियानी रैयत रामू बेदिया हैं। रामू बेदिया के नावल्द फौत कर जाने के उपरांत भूमि भूतपूर्व जमींदार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया एवं जमीन्दार द्वारा दिनांक–17.03.1943 को खाता सं0–55 के कुल–11 प्लॉट, कुल रकवा–7.93 ए0 द्वितीय पक्ष के परदादा चंदन करमाली, पिता–भोला करमाली को उचित सलामी	

लेकर बंदोबस्त कर दिया। चंदन करमाली ने पूर्व में जमींदार को एवं जमींदारी उन्मूलन पश्चात् राज्य सरकार को लगान भुगतान किया। चंदन करमाली अपने पीछे जीवन करमाली, जीवलाल करमाली व शिवलाल करमाली को छोड़ कर फौत कर गये। जीवन करमाली अपने पीछे दो पुत्र विरूवा करमाली एवं दिरूवा करमाली को छोड़ कर, जीवन करमाली अपने पीछै दो पुत्र सीताराम करमाली व बलराम करमाली तथा शिवलाल करमाली अपने पीछे एक पुत्र रघुवीर करमाली को छोड़ कर फौत कर गए। द्वितीय पक्ष की ग्राम साण्डी उर्फ तिलैया के खाता सं0–55 की सम्पूर्ण जमीन 7.93 एकड़ पर शांतिपूर्वक दखल–कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थी का प्रश्नगत् भूमि से कोई संबंध नहीं है और अपलार्थी इस खाता के वंशज भी नहीं हैं। द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत् भूमि पर मकान सहन अवस्थित है एवं शेष भूमि पर खेती–बारी का कार्य किया जा रहा है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत व खारिज करने का अनुरोध किया गया।

अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा विषयगत् वाद में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा साण्डी उर्फ तिलैया, थाना सं0–143, थाना–माण्डू के खाता सं0–55, कुल प्लॉट–11, रकवा–7.93 एकड़ सर्वे खतियान में आवेदक के परदादा रामू बेदिया वो बंधु बेदिया वल्द बिगना बेदिया के नाम से रैयती दर्ज है। वर्तमान में इस खाता सं0–55 के कुल रकवा–7.93 एकड़ माल 0.95 रू0 का मांग खाता सं0–37, रकवा–4.70 एकड़ के साथ शामिल कुल रकवा–12.63 एकड़ का मांग पंजी–II के पृष्ठ सं0–47/I पर जीवन करमाली, पिता–चन्दन करमाली के नाम से दर्ज है, परन्तु जीवन करमाली के नाम से इस खाता का मांग दर्ज संबंधी किसी पदाधिकारी का आदेश पंजी–II में दर्ज नहीं है। उन्होंने जीवन करमाली, पिता–चन्दन करमाली के नाम से दर्ज ग्राम–साण्डी के खाता सं0–55, रकवा–12.63 एकड़ में से खाता सं0–55, रकवा–7.93 एकड़ माल 0.95 रू0 अलावे शेष अलग कर इस खाता एवं रकवा की जमाबंदी खतियानी रैयत रामू बेदिया वो बन्धु बेदिया, पिता–बिगना बेदिया के नाम से दर्ज करने हेतु अनुशंसा करते हुए, अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजा गया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा अभिलेख के आदेश फलक में अंकित किया गया है कि यह मामला राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का प्रतीत होता है। व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने के उपरांत ही अलग–अलग जमाबंदी किया जाना संभव है।

प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत पक्ष व लिखित अभिकथन, अंचल अधिकारी, माण्डू एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विषयगत् मामले को राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुए, प्रभातिव पक्षकार को स्वत्व निर्धारण हेतु व्यवहार न्यायालय में जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता

द्वारा प्रश्नगत् भूमि खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते दावा किया जा रहा है, जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत् भूमि को उनके पूर्वजों को जमीन्दार द्वारा बंदोबस्ती के आधार पर प्रश्नगत् भूमि प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विषयगत् मामले को राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का माना गया है, जो विधि–सम्मत् प्रतीत होता है। लम्बी अवधि से कायम जमाबंदी को रद्द किये जाने हेतु व्यवहार न्यायालय ही सक्षम न्यायालय है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। असंतुष्ट पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

12/3/2023
अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

12/3/2023
अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2023.04.17 11:43:24 +05:30
Location: 192.168.137.1